

प्रेषक,

मनीषा पंवार,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

वित्त (वे0आ0-सा0नि0) अनुभाग-7

देहरादून: दिनांक 25 मार्च, 2022

विषय: उत्तराखण्ड वित्तीय हस्त पुस्तिका भाग-1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन) में संशोधन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या-61/XXVII (7)36 /2017 दिनांक 02 अप्रैल, 2018 द्वारा "वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन, 2018" का प्रख्यापन किया गया है।

2. वित्तीय अधिकारों की निर्धारित सीमा वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में न्यूनतम होने के कारण अधिकांश मामलों में कार्यों की वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति सम्बन्धी प्रकरण शासन को लगातार प्राप्त हो रहे हैं। शासन स्तर से स्वीकृति निर्गत होने में विलम्ब होने के कारण सम्बन्धित कार्यों में निर्धारित लक्ष्य पूर्ण न होने तथा आकस्मिक कार्य, निर्माण सामग्री आदि के मूल्यों में हुई वृद्धि के परिणाम स्वरूप "वित्तीय हस्त पुस्तिका भाग-1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन, 2018) के विवरण पत्र-1 "आकस्मिक एवं अन्य प्रकीर्ण व्यय, विवरण पत्र-2 "भूमि, भवन और किराया" विवरण पत्र-3 "निर्माण कार्य सम्बन्धी व्यय, विवरण पत्र-4 "टेकें और टेण्डर" विवरण पत्र-5 "भण्डार (स्टोर्स) तथा अन्य चल अचल सम्पत्ति सम्बन्धी विवरण पत्रों की विभिन्न मदों में प्रशासकीय विभाग/विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष की वित्तीय परिसीमाओं में वृद्धि किये जाने के सम्बन्ध में तदनुसार श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

3. किसी प्राधिकारी को प्रतिनिहित किए गए वित्तीय अधिकार वित्त विभाग की विशिष्ट स्वीकृति के बिना उस प्राधिकारी द्वारा किसी अधीनस्थ प्राधिकारी को पुनः प्रतिनिहित नहीं किए जायेंगे।

4. उत्तराखण्ड वित्तीय हस्त पुस्तिका भाग-1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन, 2018) में प्रतिनिहित अधिकार सम्बन्धी शासनादेश संख्या-61/XXVII(7)36/2017 दिनांक 02 अप्रैल, 2018 एवं समय-समय पर निर्गत शासनादेशों को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय एवं शासनादेश की शेष शर्तें/प्रतिबन्ध यथावत् लागू रहेंगी।

भवदीय,

(मनीषा पंवार)

अपर मुख्य सचिव।

संख्या-57 (1)/XXVII(7)/22-36/2010-11, तददिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून।
2. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
3. अध्यक्ष, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड।
4. महानिबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड।
5. मुख्य स्थानिक आयुक्त, उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
6. सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. मण्डलायुक्त, गढ़वाल/कुमाऊँ।

8. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
9. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
10. निदेशक, कोषागार पेंशन एवं हकदारी, 23 लक्ष्मी रोड़, डालनवाला, देहरादून।
11. निदेशक, लेखा परीक्षा (आडिट), उत्तराखण्ड।
12. निदेशक, विभागीय लेखा, उत्तराखण्ड।
13. समस्त मुख्य/वरिष्ठ काषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
14. समस्त वित्त नियंत्रक/वित्त अधिकारी, उत्तराखण्ड।
15. संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया उक्त वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन की 100 प्रतियां पुस्तिका के रूप में तैयार कर यथाशीघ्र वित्त अनुभाग-7, उत्तराखण्ड शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
16. निदेशक, आई.टी.डी.ए. को इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया उक्त वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन को राज्य की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
17. निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड, देहरादून।
18. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(गंगा प्रसाद)
अपर सचिव।

भाग-2
अधीनस्थ प्राधिकारियों को प्रतिनिहित वित्तीय अधिकार
विवरण पत्र-1
आकस्मिक और अन्य प्रकीर्ण व्यय

क्र. सं.	अधिकार का प्रकार	किसके द्वारा प्रयोग किया जाएगा	वर्तमान परिसीमार्थे	संशोधित परिसीमाएं	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
(iii)	टेलीफोन / मोबाईल / डेटा कार्ड / लीज लाईन / इंटरनेट / वी-सेट / फैक्स का संयोजन ।	1. प्रशासकीय विभाग 2. विभागाध्यक्ष 3. कार्यालयाध्यक्ष	पूर्ण अधिकार - -	पूर्ण अधिकार पूर्ण अधिकार रु० 1.00 लाख (रु० एक लाख) प्रतिवर्ष की सीमा तक ।	सुसंगत नियमों / शासनादेशों में निर्धारित अनुमन्यता के अधीन बजटीय सीमा के अंतर्गत ।
(v)	कम्प्यूटर उपकरण एवं उपस्कर फाटोकॉपियर वॉटर कूलर / प्युरीफायर / ए०सी० आदि कार्यालय में स्थापित उपकरणों का वार्षिक अनुरक्षण अनुबंध किया जाना ।	1. प्रशासकीय विभाग 2. विभागाध्यक्ष 3. कार्यालयाध्यक्ष	पूर्ण अधिकार पूर्ण अधिकार एक समय में रु० 15.00 हजार (रु० पन्द्रह हजार) की सीमा के अंतर्गत तथा एक वर्ष में रु० 1.00 लाख (रु० एक लाख) तक की सीमा तक ।	पूर्ण अधिकार पूर्ण अधिकार एक समय में रु० 15.00 हजार (रु० पन्द्रह हजार) की सीमा के अंतर्गत तथा एक वर्ष में रु० 1.00 लाख (रु० एक लाख) तक की सीमा तक ।	अधिप्राप्ति के नियमों का पालन करते हुए बजटीय सीमा के अंतर्गत। प्रतिबंध यह कि वार्षिक अनुरक्षण अनुबंध मूल निर्माता (OEM) अथवा उसके अधिकृत प्रतिनिधि से किया जायेगा। अधिकृत प्रतिनिधि उपलब्ध न होने की स्थिति में ही अन्य सक्षम फर्म से करवाया जा सकेगा। जिसकी दर क्य मूल्य (करोड़ों को छोड़कर) की 10% से अनधिक होगी।
(vii)	औषधियों का क्य	1. महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण 2. निदेशक, चिकित्सा शिक्षा 3. प्राचार्य, राजकीय मेडिकल कॉलेज 4. मुख्य चिकित्साधिकारी / राजकीय चिकित्सालयों के प्रमुख / मुख्य चिकित्सा अधीक्षक	औषधि क्य हेतु एक बार में रु० 3.00 करोड़ (रु० तीन करोड़) की सीमा तक । - -	औषधि क्य हेतु एक बार में रु० 5.00 करोड़ (रु० पांच करोड़) की सीमा तक । औषधि क्य हेतु एक बार में रु० 3.00 करोड़ (रु० तीन करोड़) की सीमा तक । औषधि क्य हेतु एक बार में रु० 5.00 लाख (रु० पांच लाख) की सीमा तक ।	शासनादेशों में निहित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन तथा उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली के प्राविधानों के अनुसार बजट की सीमा के अंतर्गत ।

(x) नीलामकर्ताओं को जहां उनकी सेवाएं लेना अनिवार्य समझा जाए, कमीशन का भुगतान स्वीकृत करना	1. प्रशासकीय विभाग	पूर्ण अधिकार	पूर्ण अधिकार	-
	2. विभागाध्यक्ष	-	पूर्ण अधिकार	-
2. (i) किसी शासकीय आयोजन/ सेमीनार / मेलों और प्रदर्शनी के सम्बन्ध में स्थानों और टैन्ट, नावों, मोटर बोट, साइकिलों आदि को किराये पर लेने तथा अन्य प्रकीर्ण व्यय करने की स्वीकृति देना।	1. गृह विभाग	-	पूर्ण अधिकार	-
	2. विभागाध्यक्ष	-	एक वर्ष में ₹0 25.00 लाख (₹0 पच्चीस लाख) की सीमा तक बजट की उपलब्धता के अंतर्गत।	प्रत्येक आयोजन में ₹0 2.50 लाख (₹0 दो लाख पचास हजार) की सीमा तक इस शर्त के अधीन कि उक्त के सम्बन्ध में कोई विशिष्ट स्वीकृतियाँ अपेक्षित न हों।
	3. पुलिस महानिरीक्षक	एक वर्ष में ₹0 5.00 लाख (₹0 पांच लाख) की सीमा तक बजट की उपलब्धता के अंतर्गत।	एक वर्ष में ₹0 10.00 लाख (₹0 दस लाख) की सीमा तक बजट की उपलब्धता के अंतर्गत।	प्रत्येक आयोजन में ₹0 1.50 लाख (₹0 एक लाख पचास हजार) की सीमा तक इस शर्त के अधीन कि उक्त के सम्बन्ध में कोई विशिष्ट स्वीकृतियाँ अपेक्षित न हों।
	4. उप पुलिस महानिरीक्षक	एक वर्ष में ₹0 1.00 लाख (₹0 एक लाख) की सीमा तक बजट की उपलब्धता के अंतर्गत।	एक वर्ष में ₹0 5.00 लाख (₹0 पांच लाख) की सीमा तक बजट की उपलब्धता के अंतर्गत।	प्रत्येक आयोजन में ₹0 1.00 लाख (₹0 एक लाख) की सीमा तक इस शर्त के अधीन कि उक्त के सम्बन्ध में कोई विशिष्ट स्वीकृतियाँ अपेक्षित न हों।
	5. पुलिस अधीक्षक	एक वर्ष में ₹0 50.00 हजार (₹0 पचास हजार) की सीमा तक बजट की उपलब्धता के अंतर्गत।	एक वर्ष में ₹0 2.00 लाख (₹0 दो लाख) की सीमा तक बजट की उपलब्धता के अंतर्गत।	प्रत्येक आयोजन में ₹0 50.00 हजार (₹0 पचास हजार) की सीमा तक इस शर्त के अधीन कि उक्त के सम्बन्ध में कोई विशिष्ट स्वीकृतियाँ अपेक्षित न हों।
3. किसी शासकीय आयोजन/ सेमीनार / मेलों व प्रदर्शनियों के लिए व्यय स्वीकृत करना जिसमें परिवहन व्यय, अस्थाई कर्मचारियों का यात्रा भत्ता, आकस्मिक व्यय इत्यादि सम्मिलित है।	1. प्रशासकीय विभाग	पूर्ण अधिकार	पूर्ण अधिकार	सुसंगत वित्तीय नियमों/ प्राक्धानों के अनुसार बजट की सीमा के अंतर्गत।
	2. विभागाध्यक्ष	₹0 5.00 लाख (₹0 पांच लाख) तक	पूर्ण अधिकार	

(Handwritten mark)

(Handwritten mark)

4.	1. पुलिस हिरासत में बन्द अभियुक्तों के ईलाज के लिये गैर-सरकारी चिकित्सकों को शुल्क का भुगतान स्वीकृत करना।	पुलिस अधीक्षक	प्रत्येक मामले में, जहाँ ऐसा व्यय रू० 1.00 हजार (रू० एक हजार) से अधिक न हो।	पूर्ण अधिकार	भुगतान की स्वीकृति केवल तभी दी जानी चाहिए जब मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र दिया जाये कि एक्स-रे/ एम०आर०आई०/ सी०टी० स्कैन अथवा अन्य टेस्ट अथवा मांगा गया शुल्क उचित है।
6.	विशेष आकस्मिक व्यय की श्रेणी के अंतर्गत आने वाले व्यय, जब वे साम्प्रदायिक दंगों, हड़ताल और इसी प्रकार के अन्य उपद्रवों के सम्बन्ध में किये गये हो, स्वीकृत करना।	1. पुलिस महानिदेशक	-	पूर्ण अधिकार	सुसंगत वित्तीय नियमों/ प्राविधानों के अनुसार, बजट की सीमा के अंतर्गत।
		2. पुलिस उप महानिरीक्षक	एक वर्ष में रू० 50.00 हजार (रू० पचास हजार) की सीमा के अंतर्गत किन्तु किसी एक अवसर अर्थात् किसी एक दंगा या हड़ताल इत्यादि पर रू० 10.00 हजार (रू० दस हजार) की सीमा तक बजट उपलब्धता के अंतर्गत।	एक वर्ष में रू० 1.00 लाख (रू० एक लाख) की सीमा के अंतर्गत किन्तु किसी एक अवसर अर्थात् किसी एक दंगा या हड़ताल इत्यादि पर रू० 50.00 हजार (रू० पचास हजार) की सीमा तक।	

W

CM

<p>12</p>	<p>प्रदेश में आतकी / साम्प्रदायिक दंगों / प्राकृतिक / दैवीय आपदा से पीड़ित ऐसे व्यक्तियों, जिनके जान-माल को गम्भीर हानि पहुंची है. पुनर्वासित करने हेतु सहायतार्थ दी जाने वाली राहत की धनराशि, निम्न रूप में स्वीकृत करना-</p> <p>(1) प्रत्येक मृतक (चाहे वह परिवार का जीविकोपार्जन सदस्य रहा हो अथवा नहीं) के परिवार को।</p> <p>(2) स्थायी रूप से अपंग हो जाने की स्थिति में प्रत्येक व्यक्ति को (चाहे वह परिवार का जीविकोपार्जन सदस्य रहा हो अथवा नहीं)।</p> <p>(3) अस्थायी रूप से अपंग हो गये प्रत्येक व्यक्ति को।</p> <p>(4) सांघातिक चोट के परिणाम स्वरूप घायल व्यक्ति को जो ऊपर (3) में अपंग की परिभाषा में न आता हो।</p> <p>(5) चल सम्पत्ति की हानि की स्थिति में।</p> <p>(6) अचल सम्पत्ति को हुई क्षति की स्थिति में।</p>	<p>1. सचिव, गृह / आपदा</p>	<p>पूर्ण अधिकार</p>	<p>पूर्ण अधिकार</p>	<p>शासन द्वारा समय-समय पर निर्धारित दरों के अनुसार, स्वीकृत बजट की सीमा के अंतर्गत।</p>
		<p>2. जिलाधिकारी</p>	<p align="center">-</p>	<p>पूर्ण अधिकार</p>	
<p>19</p>	<p>शजरा और खसरा के लिए अनुमान स्वीकृत करना।</p>	<p>1. अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग</p>	<p>पूर्ण अधिकार</p>	<p>पूर्ण अधिकार</p>	<p align="center">-</p>
		<p>2- अधिशासी अभियन्ता,</p>	<p>₹0 5.00 हजार (₹0 पांच हजार) की सीमा तक</p>	<p>पूर्ण अधिकार</p>	

10

11

विज्ञापन व्यय					
24	निजी मुद्रणालयों से पंजीयत/ अपंजीयत प्रपत्रों व अन्य आवश्यक कार्यों जैसे (नक्शे, नोटिस आदि) का मुद्रण कराना।	1. प्रशासकीय विभाग	पूर्ण अधिकार	पूर्ण अधिकार	अधिकारों का प्रयोग विक्रय प्रपत्रों के सम्बन्ध में नहीं किया जायगा। अन्य प्रपत्रों के सम्बन्ध में केवल अपरिहार्य परिस्थितियों एवं न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु किया जायेगा। अधिप्राप्ति नियमावली का पालन व बजट सीमान्तर्गत
		2- विभागाध्यक्ष	प्रत्येक मामले में रु० 20.00 हजार (रु० बीस हजार) रुपये तक	पूर्ण अधिकार	
		3- कार्यालयाध्यक्ष	प्रत्येक मामले में रु० 10.00 हजार (रु० दस हजार) रुपये तक	प्रत्येक मामले में रु० 50.00 हजार (रु० पचास हजार) रुपये तक	
25	सामान्य निर्वाचन (जनरल इलेक्शन), द्विवर्षीय निर्वाचन और उप निर्वाचन, मतदाता सूचियों में वार्षिक संशोधन से सम्बन्धित प्रपत्र तथा अन्य निर्वाचन सामग्री स्थानीय रूप से मुद्रण स्वीकृत कराना।	मुख्य निर्वाचन अधिकारी	पूर्ण अधिकार	पूर्ण अधिकार	उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार, बजट की सीमा के अंतर्गत।

अन्य व्यय

27	किसी विशिष्ट कार्य के लिए वाह्य व्यावसायिक विशेषज्ञ, परामर्श देने वाली फर्मों आदि की सेवायें की स्वीकृति प्रदान करना।	1. प्रशासकीय विभाग	पूर्ण अधिकार	पूर्ण अधिकार	उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार, बजटीय सीमान्तर्गत।
		2. विभागाध्यक्ष	प्रत्येक मामले में रु० 10.00 लाख (रु० दस लाख) तक	प्रत्येक मामले में रु० 25.00 लाख (रु० पच्चीस लाख) तक	
		3. कार्यालयाध्यक्ष	प्रत्येक मामले में रु० 5.00 लाख (रु० पांच लाख) तक	प्रत्येक मामले में रु० 5.00 लाख (रु० पांच लाख) तक	
28	वेब सर्विसेस, मोबाईल एप, वेबसाईट/पोर्टल डेवलपमेंट, एवं इनका वार्षिक अनुसंधान/सॉफ्टवेयर का लाईसेंस शुल्क।	1. प्रशासकीय विभाग	पूर्ण अधिकार	पूर्ण अधिकार	उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार, बजट की सीमा के अंतर्गत।
		2- विभागाध्यक्ष	प्रत्येक मामले में रु० 10.00 लाख (रु० दस लाख) रुपये तक	प्रत्येक मामले में रु० 25.00 लाख (रु० पच्चीस लाख) रुपये तक	
		3. कार्यालयाध्यक्ष	प्रत्येक मामले में रु० 5.00 लाख (रु० पांच लाख) तक	प्रत्येक मामले में रु० 5.00 लाख (रु० पांच लाख) तक	

- 6 -
विवरण पत्र-2
भूमि, भवन और किराया

क्र. सं.	अधिकार का प्रकार	किसके द्वारा प्रयोग किया जाएगा	वर्तमान परिसीमायें	संशोधित परिसीमाएं	अन्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	राज्य की निधियों से निर्मित उनके नियंत्रण के अधीन (आवसिक भवनों और डाक बंगलों को छोड़कर) भवनों का विक्रय अथवा विध्वंस स्वीकृत करना।	1. प्रशासकीय विभाग 2. विभागाध्यक्ष	पूर्ण अधिकार रु० 10.00 लाख (रु० दस लाख) खाते मूल्य तक	पूर्ण अधिकार रु० 50.00 लाख (रु० पचास लाख) खाते मूल्य तक	भवनों का बाजार मूल्य पर विक्रय (भूमि को सम्मिलित करते हुए) किया जायेगा। भूमि का मूल्य जिलाधिकारी तथा भवन का मूल्य लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित किया जायेगा।
3	पट्टे पर ली जाने वाली भूमि का किराया स्वीकृत करना।	1. प्रशासकीय विभाग 2. विभागाध्यक्ष	पूर्ण अधिकार -	पूर्ण अधिकार पूर्ण अधिकार	वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के परिशिष्ट 10 में दी गई शर्तों के अधीन रहते हुए पूर्ण पारदर्शिता से। (शासनादेश संख्या- ए-2-930/दस- 84-14(30)/7, दिनांक 28 फरवरी, 1984)
5	भवनों के निर्माण के लिये चुने गये स्थानों पर स्थित हरे या सुखे वृक्षों को सार्वजनिक नीलामी द्वारा काटने की स्वीकृति प्रदान करना।	1. अधीक्षण अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग। 2. अधिशासी अभियन्ता (सिविल), लोक निर्माण विभाग, अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, लघु सिंचाई विभाग, ग्रामीण निर्माण विभाग	पूर्ण अधिकार इस प्रतिबन्ध के साथ कि वन तथा उद्यान विभागों से आवश्यक अनापत्ति प्राप्त कर ली गई हो। रु० 25.00 हजार (रु० पच्चीस हजार) तक इस प्रतिबंध के साथ कि वन तथा उद्यान विभागों से आवश्यक अनापत्ति प्राप्त कर ली गई हो।	पूर्ण अधिकार इस प्रतिबन्ध के साथ कि वन तथा उद्यान विभागों से आवश्यक अनापत्ति प्राप्त कर ली गई हो। पूर्ण अधिकार।	वन संरक्षण अधिनियम तथा अन्य सुसंगत अधिनियमों/नियमों के प्रावधानों को ध्यान में रखा जाय।
6.	गोदामों का किराया	1. प्रशासकीय विभाग 2. विभागाध्यक्ष	पूर्ण अधिकार प्रत्येक मामले में रु० 20.00 हजार (रु० बीस हजार) प्रतिमाह तक	पूर्ण अधिकार पूर्ण अधिकार	वित्तीय नियम संग्रह, खण्ड-5 भाग-1 के परिशिष्ट 10 के नियम 24 में दी हुई शर्तों के अधीन। पूर्व में निर्धारित प्रक्रिया एवं शर्तों के अनुसार। किराये की दर का अनुमोदन जिलाधिकारी का होगा।

	3. कार्यालयाध्यक्ष	प्रत्येक मामले में रु० 5.00 हजार (रु० पांच हजार) प्रतिमाह तक	प्रत्येक मामले में रु० 50.00 हजार (रु० पचास हजार) प्रतिमाह तक
--	--------------------	---	--

विवरण पत्र-3
निर्माण कार्य सम्बन्धी व्यय

क्र. सं.	अधिकार का प्रकार	किसके द्वारा प्रयोग किया जाएगा	वर्तमान परिसीमायें	संशोधित परिसीमाएं	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	क- मूल निर्माण कार्यों के लिए परियोजना की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करना।	1. प्रशासकीय विभाग 2. विभागाध्यक्ष	पूर्ण अधिकार धार्मिक तथा पुरातत्व संबंधी भवनों तथा विद्यमान आवासीय भवनों में सुधार तथा विशेष मरम्मतों के अनुमानों को अपवाद स्वरूप छोड़कर किसी एक मामले में रु० 10.00 लाख (रु० दस लाख) तक निम्नलिखित शर्तों के अधीन:- (1) यह कि आवासिक भवन शासन द्वारा स्वीकृत मानक डिजाइन के अनुसार निर्मित किये जायेंगे और यह कि निर्माण की लागत उनसे सम्बन्धित अनुज्ञेय वित्तीय सीमाओं या समय-समय पर शासन द्वारा नियत की गई क्षेत्र सीमाओं से अधिक नहीं होगी और शर्त यह भी है कि निर्माण कार्य तब तक प्रारम्भ नहीं किया जाएगा जब तक कि शासन द्वारा उनके व्यय की स्वीकृति प्रदान न कर दी जाय। (2) आवासिक भवनों में बिजली लगाने का व्यय फण्डामेंटल / तत्सम्बन्धी	पूर्ण अधिकार धार्मिक तथा पुरातत्व संबंधी भवनों तथा विद्यमान आवासीय भवनों में सुधार तथा विशेष मरम्मतों के अनुमानों को अपवाद स्वरूप छोड़कर किसी एक मामले में रु० 40.00 लाख (रु० चालीस लाख) तक निर्धारित निम्नलिखित शर्तों के अधीन:- (1) यह कि आवासीय भवन शासन द्वारा समय-समय पर नियत की गई क्षेत्र सीमाओं से अधिक नहीं होगी और निर्माण कार्य तब तक प्रारम्भ नहीं किया जाएगा जब तक कि शासन द्वारा उनके व्यय की स्वीकृति प्रदान न कर दी जाय। (2) आवासीय भवनों में बिजली लगाने का व्यय तथा फिटिंग्स की मात्रा फण्डामेंटल / सब्सिडियरी रूल्स तथा तत्सम्बन्धी विषयक शासनादेशों में दी हुई सीमा के अनुसार होनी चाहिए। (3) आवासिक तथा गैर आवासिक भवनों की संख्या उससे अधिक नहीं होनी चाहिए जो अनुमोदित मापदण्ड के अनुसार विभिन्न	बजट मैनुअल, वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-VI तथा विभिन्न शासनादेशों के अनुरूप प्रचलित व्यवस्था के अधीन। उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार, बजट की सीमा के अंतर्गत।

al

Ch

	<p>विषयक शासनादेशों में दी हुई सीमा और उनमें फिटिंग्स की मात्रा सब्सीडियरी रूल्स के अनुसार होनी चाहिए।</p> <p>(3) अनुमान में स्थायी आवासिक तथा गैर आवासिक भवनों की संख्या उससे अधिक नहीं होनी चाहिए जो योजना के अनुरक्षण के लिए जब वह पूरी हो जाय, अनुमोदित मापदण्ड के अनुसार विभिन्न वर्गों के कर्मचारी वर्ग की संख्या के लिए अनुमन्य हो।</p> <p>(4) ऐसे आवासिक भवन (स्थायी अथवा अस्थायी दोनों प्रकार के) जिला मुख्यालयों पर नहीं बनाये जायेंगे जो लोक निर्माण विभाग की एक स्थलीय (पूल्ड) आवास योजना के अन्तर्गत न आते हों।</p> <p>(5) डाक बंगले/ रेस्ट हाउस का निर्माण करते समय न्यू डाक बंगलों से निकटता के सिद्धान्त को दृढ़ता से पालन किया जायेगा और उनके निर्माण कार्य के लिए शासन की पूर्व स्वीकृति प्राप्त करनी होगी।</p> <p>(6) गाड़ियों के लिए (हल्की तथा भारी दोनों प्रकार की) व्यवस्था शासन द्वारा अनुमोदित संख्या (स्केल) के अनुसार की</p>	<p>वर्गों के कर्मचारी वर्ग की संख्या के लिए अनुमन्य हो।</p> <p>(4) ऐसे आवासिक भवन (स्थायी अथवा अस्थायी दोनों प्रकार के) जिला मुख्यालयों पर नहीं बनाये जायेंगे जो लोक निर्माण विभाग की एक स्थलीय (पूल्ड) आवास योजना के अन्तर्गत न आते हों।</p> <p>(5) डाक बंगले/ रेस्ट हाउस का निर्माण करते समय अन्य डाक बंगलों से निकटता के सिद्धान्त को दृढ़ता से पालन किया जायेगा और उनके निर्माण कार्य के लिए शासन की पूर्व स्वीकृति प्राप्त करनी होगी।</p>
--	---	--

u

u

			जायेगी और क्य के लिये आदेश देने से पहले मुख्यमंत्री जी की पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर ली जायेगी।		
	ख- वर्तमान आवासिक भवनों में सुधार के लिए अनुमानों की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करना।	1. प्रशासकीय विभाग	आय-व्यय प्राविधान के अन्तर्गत पूर्ण अधिकार	आय-व्यय प्राविधान के अन्तर्गत पूर्ण अधिकार	आय-व्यय प्राविधान की सीमा के अन्तर्गत।
		2-विभागाध्यक्ष	आय-व्यय प्राविधान के अन्तर्गत प्रत्येक मामले में रु0 1.00 लाख (रु0 एक लाख) की सीमा तक	आय-व्यय प्राविधान के अन्तर्गत प्रत्येक मामले में रु0 10.00 लाख (रु0 दस लाख) की सीमा तक	
3.	निर्माण कार्यों के ब्यौरेवार अनुमानों/ अनुपूरक अनुमानों/ पुनरीक्षित अनुमानों की प्राविधिक स्वीकृति प्रदान करना।	1. मुख्य अभियन्ता, लो0नि0वि0/ सिंचाई विभाग/ ग्रामीण निर्माण विभाग/ लघु सिंचाई विभाग	1. पूर्ण अधिकार	1. पूर्ण अधिकार	
		2. अधीक्षण अभियन्ता (सिविल) लोक निर्माण विभाग/ सिंचाई विभाग/ ग्रामीण निर्माण विभाग/ लघु सिंचाई विभाग	रु0 2.5 करोड़ (रु0 दो करोड़ पचास लाख) की सीमा तक।	रु0 2.5 करोड़ (रु0 दो करोड़ पचास लाख) की सीमा तक।	
		3-अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक लो0नि0वि0, लघु सिंचाई, ग्रामीण निर्माण विभाग।	3-रु0 50.00 लाख (रु0 पचास लाख) की सीमा तक	रु0 1.00 करोड़ (रु0 एक करोड़) की सीमा तक।	
		4. अधिशासी अभियन्ता (सिविल) व कार्य अधीक्षक, लो0नि0वि0/ सिंचाई विभाग/ ग्रामीण निर्माण विभाग/ लघु सिंचाई विभाग/ ग्रामीण निर्माण विभाग।	4. रु0 1 करोड़ (रु0 एक करोड़) की सीमा तक।	4. रु0 1 करोड़ (रु0 एक करोड़) की सीमा तक।	
		5-अधिशासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक, लोक निर्माण, लघु सिंचाई, ग्रामीण निर्माण विभाग।	5- रु0 10.00 लाख (रु0 दस लाख) की सीमा तक।	रु0 20.00 लाख (रु0 बीस लाख) की सीमा तक।	
8	गैर आवासिक भवनों में बिजली संबंधी निर्माण कार्य के लिए अनुमानों की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करना।	1. प्रशासकीय विभाग	1. पूर्ण अधिकार	1. पूर्ण अधिकार	
		2. मुख्य अभियन्ता, लोनिवि0/ सिंचाई/ ग्रामीण निर्माण/ लघु सिंचाई विभाग	2. रु0 10.00 लाख (रु0 दस लाख) की सीमा तक	3. रु0 1.00 करोड़ (रु0 एक करोड़) की सीमा तक	

W

Q

	3. अधीक्षण अभियन्ता, सिविल व विद्युत/ यांत्रिक लो०नि०वि० तथा अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग/ ग्रामीण निर्माण विभाग/ लघु सिंचाई।	3. ₹0 5.00 लाख (₹0 पांच लाख) की सीमा तक	3. ₹0 10.00 लाख (₹0 दस लाख) की सीमा तक	-
--	---	---	--	---

विवरण पत्र-4
ढेके और टेण्डर

क्र. सं.	अधिकार का प्रकार	किसके द्वारा प्रयोग किया जाएगा	वर्तमान परिसीमायें	संबोधित परिसीमाएं	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
2.	किसी स्वीकृत निर्माण कार्य अथवा उसके किसी एक भाग के निष्पादन के लिये टेण्डर स्वीकृत करना।	1. मुख्य अभियन्ता, लो०नि० विभाग/ सिंचाई विभाग/ ग्रामीण निर्माण विभाग/ लघु सिंचाई 2(क) अधीक्षण अभियन्ता लो०नि० विभाग/सिंचाई विभाग/ग्रामीण निर्माण विभाग/लघु सिंचाई। 2-(ख) अधीक्षण अभियन्ता विद्युत/यांत्रिक, लो०नि० विभाग, लघु सिंचाई, ग्रामीण निर्माण विभाग।	1. पूर्ण अधिकार 2. पूर्ण अधिकार परन्तु ₹0 2.00 करोड़ (₹0 दो करोड़) से अधिक के कार्य मुख्य अभियन्ता से अनुमोदन आवश्यक होगा।	1. पूर्ण अधिकार 2. पूर्ण अधिकार परन्तु ₹0 2.00 करोड़ (₹0 दो करोड़) से अधिक के कार्य मुख्य अभियन्ता से अनुमोदन आवश्यक होगा।	यथा संशोधित वित्तीय नियमों एवं अधिप्राप्ति नियमों में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार तथा आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि की सीमा तक।
		3. अधिशासी अभियन्ता (सिविल) व कार्य अधीक्षक, लो०नि०वि०, अधिशासी अभियन्ता / प्रभागीय अधिकारी, सिंचाई विभाग।	₹0 75,00,000 (₹0 पचहत्तर लाख) की सीमा तक।	₹0 75,00,000 (₹0 पचहत्तर लाख) की सीमा तक।	
		4. अधिशासी अभियन्ता (सिविल) ग्रामीण निर्माण विभाग।	₹0 75,00,000 (₹0 पचहत्तर लाख) की सीमा तक।	₹0 75,00,000 (₹0 पचहत्तर लाख) की सीमा तक।	
		5-अधिशासी अभियन्ता, विद्युत/यांत्रिक, लोक निर्माण, लघु सिंचाई विभाग/ग्रामीण निर्माण विभाग।	₹0 10.00 लाख (₹0 दस लाख) की सीमा तक।	₹0 20.00 लाख (₹0 बीस लाख) की सीमा तक।	
		6. सहायक अभियन्ता, लो०नि०वि०/सिंचाई विभाग/ग्रामीण निर्माण/ लघु सिंचाई।	₹0 10,00,000 (₹0 दस लाख) की सीमा तक।	₹0 10,00,000 (₹0 दस लाख) की सीमा तक।	
		7. मुख्य विद्युत निरीक्षक।	₹0 5,00,000 (₹0 पांच लाख) की सीमा तक।	₹0 5,00,000 (₹0 पांच लाख) की सीमा तक।	

		8. सहायक अभियन्ता, विद्युत/यांत्रिक।	रु० 5,00,000 (रु० पांच लाख) की सीमा तक।	रु० 5,00,000 (रु० पांच लाख) की सीमा तक।	
विवरण पत्र-4 "ठेके और टेण्डर" के अन्तर्गत बिन्दु संख्या-5 के पश्चात नया कर्मांक-6 का जोड़ा जाना।					
6	विभिन्न प्रकार की अधिप्राप्तियों हेतु टेण्डर निर्गत किया जाना एवं स्वीकृत करना।	1. प्रशासकीय विभाग 2. विभागाध्यक्ष	- -	पूर्ण अधिकार पूर्ण अधिकार	प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वीकृति के सीमांतर्गत।

**विवरण पत्र-5
भण्डार (स्टोसी) तथा अन्य चल सम्पत्ति**

क्र.सं.	अधिकार का प्रकार	किसके द्वारा प्रयोग किया जाएगा	वर्तमान परिसीमायें	संशोधित परिसीमाएं	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1.	कार्यालयों हेतु उपकरण /संयंत्र एवं नई साज-सज्जा यथा कम्प्यूटर हार्डवेयर / सॉफ्टवेयर, जनरेटर, फर्नीचर आदि का क्रय।	1. प्रशासकीय विभाग	पूर्ण अधिकार	पूर्ण अधिकार	यथा संशोधित वित्तीय नियमों एवं अधिप्राप्ति नियमों में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार तथा आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि की सीमा तक।
		2. विभागाध्यक्ष	इस प्रतिबंध के साथ कि किसी एक वस्तु का मूल्य रु० 2.00 लाख (रु० दो लाख) से अधिक नहीं होगा तथा एक बार में रु० 10.00 लाख (रु० दस लाख) की सामग्री का क्रय किया जा सकता है।	एक बार में रु० 25.00 लाख (रु० पच्चीस लाख) की सीमा तक।	
		3. कार्यालयाध्यक्ष	-	एक बार में रु० 5.00 लाख (रु० पांच लाख) की सामग्री का क्रय किया जा सकता है।	
2.	विभागीय कार्य हेतु विशिष्ट उपकरण एवं संयंत्र का क्रय।	1. प्रशासकीय विभाग	पूर्ण अधिकार	पूर्ण अधिकार	यथा संशोधित वित्तीय नियमों एवं अधिप्राप्ति नियमों में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार तथा आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि की सीमा तक।
		2. विभागाध्यक्ष	इस प्रतिबंध के साथ किसी एक वस्तु का मूल्य रु० 10.00 लाख (रु० दस लाख) से अधिक नहीं होगा तथा एक बार में रु० 20.00 लाख (रु० बीस लाख) तक की सामग्री का क्रय किया जा सकता है।	एक बार में रु० 25.00 लाख (रु० पच्चीस लाख) तक की सामग्री का क्रय किया जा सकता है।	
		1 पुलिस महानिदेशक	इस प्रतिबंध के साथ किसी एक वस्तु का मूल्य रु० 10.00 लाख (रु० दस	किसी एक वस्तु का मूल्य रु० 25.00 लाख (रु० पच्चीस लाख) से अधिक	

			लाख) से अधिक नहीं होगा तथा एक बार में रू0 3.00 करोड़ (रू0 तीन करोड़) तक की सामग्री का क्रय किया जा सकता है।	नहीं होगा तथा एक बार में रू0 3.00 करोड़ (रू0 तीन करोड़) तक की सामग्री का क्रय किया जा सकता है।	
		II महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य	इस प्रतिबन्ध के साथ किसी एक वस्तु का मूल्य रू0 50.00 लाख (रू0 पचास लाख) से अधिक नहीं होगा तथा एक बार में रू0 3.00 करोड़ (रू0 तीन करोड़) तक की सामग्री का क्रय किया जा सकता है।	किसी एक वस्तु का मूल्य रू0 75.00 लाख (रू0 पचहत्तर लाख) से अधिक नहीं होगा तथा एक बार में रू0 3.00 करोड़ (रू0 तीन करोड़) तक की सामग्री का क्रय किया जा सकता है।	
		III निदेशक, चिकित्सा शिक्षा	इस प्रतिबन्ध के साथ किसी एक वस्तु का मूल्य रू0 50.00 लाख (रू0 पचास लाख) से अधिक नहीं होगा तथा एक बार में रू0 3.00 करोड़ (रू0 तीन करोड़) तक की सामग्री का क्रय किया जा सकता है।	किसी एक वस्तु का मूल्य रू0 75.00 लाख (रू0 पचहत्तर लाख) से अधिक नहीं होगा तथा एक बार में रू0 3.00 करोड़ (रू0 तीन करोड़) तक की सामग्री का क्रय किया जा सकता है।	
		3. कार्यालयाध्यक्ष	-	एक बार में रू0 5.00 लाख (रू0 पांच लाख) की सामग्री का क्रय किया जा सकता है।	
3.	अभियंत्रण विभागों में औजारों संयंत्र का क्रय और उनके लिये आवश्यक अनुमान तथा पुनरीक्षित अनुमान स्वीकृत करना।	1. प्रशासकीय विभाग 2. प्रमुख/मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग/सिंचाई विभाग/लघु सिंचाई विभाग, ग्रामीण निर्माण विभाग	पूर्ण अधिकार	पूर्ण अधिकार	बजट उपलब्धता के सीमान्तर्गत।
			इस प्रतिबंध के साथ किसी एक वस्तु का मूल्य रू0 25.00 लाख (रू0 पच्चीस लाख) से अधिक नहीं होगा तथा एक बार में रू0 2.00 करोड़ (रू0 दो करोड़) तक की सामग्री का क्रय किया जा सकता है।	किसी एक वस्तु का मूल्य रू0 50.00 लाख (रू0 पचास लाख) से अधिक नहीं होगा तथा एक बार में रू0 3.00 करोड़ (रू0 तीन करोड़) तक की सामग्री का क्रय किया जा सकता है।	

		3. अधीक्षण अभियन्ता, सिविल, विद्युत/यांत्रिक लोक निर्माण विभाग/सिंचाई विभाग/लघु सिंचाई, ग्रामीण निर्माण विभाग	इस प्रतिबन्ध के साथ किसी एक वस्तु का मूल्य रू0 10,00,000 लाख (रू0 दस लाख) से अधिक नहीं होगा तथा एक बार में रू0 1.00 करोड़ (रू0 एक करोड़) तक की सामग्री का कय किया जा सकता है।	इस प्रतिबन्ध के साथ किसी एक वस्तु का मूल्य रू0 10,00,000 लाख (रू0 दस लाख) से अधिक नहीं होगा तथा एक बार में रू0 1.00 करोड़ (रू0 एक करोड़) तक की सामग्री का कय किया जा सकता है।	
		4. अधिशासी अभियन्ता लो0नि0वि0/सिंचाई विभाग/लघु सिंचाई/ग्रामीण निर्माण विभाग	इस प्रतिबन्ध के साथ किसी एक वस्तु का मूल्य रू0 5,00,000 लाख (रू0 पांच लाख) से अधिक नहीं होगा तथा एक बार में रू0 50,00,000 लाख (रू0 पचास लाख) तक की सामग्री का कय किया जा सकता है।	इस प्रतिबन्ध के साथ किसी एक वस्तु का मूल्य रू0 5,00,000 लाख (रू0 पांच लाख) से अधिक नहीं होगा तथा एक बार में रू0 50,00,000 लाख (रू0 पचास लाख) तक की सामग्री का कय किया जा सकता है।	
4.	(ख) औजारों और संयंत्र की मरम्मत के लिये अनुमान स्वीकृत किया जाना	1. विभागाध्यक्ष (अभियंत्रण एवं स्वास्थ्य विभाग को छोड़ते हुए) 2. महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग और प्राचार्य राजकीय मेडिकल कॉलेज 2. अधीक्षण अभियन्ता सिविल/वि0/यां0, लो0नि0वि0, सिंचाई विभाग/लघु सिंचाई, ग्रामीण निर्माण विभाग 3. अधिशासी अभियन्ता सिविल, लो0नि0वि0 सिंचाई विभाग/लघु सिंचाई, ग्रामीण निर्माण विभाग 4. अधिशासी अभियन्ता वि0/यां0	1. रू0 50.00 हजार (रू0 पचास हजार) तक। 2. पूर्ण अधिकार 2. पूर्ण अधिकार 3. रू0 15,000 (रू0 पन्द्रह हजार) सहायक अभियन्ता (वि./यां.) की संस्तुति पर। रू0 60,000/- (रू0 साठ हजार)	1. पूर्ण अधिकार 2. पूर्ण अधिकार 2. पूर्ण अधिकार 3. रू0 15,000 (रू0 पन्द्रह हजार) सहायक अभियन्ता (वि./यां.) की संस्तुति पर। रू0 60,000/- (रू0 साठ हजार)	अधिप्राप्ति नियमों का पालन करते हुये उपलब्ध बजट की सीमान्तर्गत।
निष्प्रोज्य सामग्री व सामग्री का निस्तारण					
7	फालतू और निष्प्रोज्य भण्डार का विकय स्वीकृत करना। (अभियंत्रण)	1. प्रशासकीय विभागा	पूर्ण अधिकार	पूर्ण अधिकार	रू0 5,00,000 (रू0 पांच लाख) से अधिक लागत की फालतू एवं निष्प्रोज्य भण्डार के विकय के

W


W

विभागों को छोड़कर)				प्रस्तावों पर निर्णय लिये जाने हेतु प्रशासकीय विभागों के प्रमुख सचिव व सचिव की अध्यक्षता में एक परामर्शदात्री समिती का गठन किया जायेगा। जिसके सदस्य वित्त विभाग के प्रतिनिधि (जो संयुक्त सचिव स्तर से नीचे के न हो) तथा सम्बन्धित विभागाध्यक्ष होंगे। केवल अतिविशिष्ट तथा जटिल मामले ही वित्त विभाग को सन्दर्भित किये जायेंगे।
	2. विभागाध्यक्ष	पूर्ण अधिकार	पूर्ण अधिकार	निष्प्रोज्य समिति के अनुमोदन उपरान्त किन्तु जब भण्डार किसी प्राविधिक व औद्योगिक विद्यालय का हो तो विक्रय के लिए परामर्शदात्री समिति की स्वीकृति आवश्यक होगी।
	3-कार्यालयाध्यक्ष	रु0 5.00 लाख (रु0 पांच लाख) से अनधिक मूल मूल्य (Basic Price) तक	रु0 10.00 लाख (रु0 दस लाख) से अनधिक मूल मूल्य (Basic Price) तक	सुसंगत वित्तीय नियमों/ प्राविधानों के अनुसार।
8. किसी भण्डार (सामग्री, औजार और संयंत्र स्थल पर वस्तुएं और विघटित किये गये निर्माण कार्यों से प्राप्त सामग्री सहित) को फालतू/ निष्प्रोज्य घोषित करना तथा उसे नष्ट करना अथवा सार्वजनिक नीलामी द्वारा उनका विक्रय स्वीकृत करना।	1. प्रशासकीय विभाग	पूर्ण अधिकार	पूर्ण अधिकार	सुसंगत वित्तीय नियमों/ प्राविधानों के अनुसार।
	2. प्रमुख/मुख्य अभियन्ता (विभागाध्यक्ष), लो.नि.वि. /सिंचाई/ लघु सिंचाई/ ग्रामीण निर्माण विभाग	रु0 15.00 लाख (रु0 पन्द्रह लाख) की पुस्तक मूल्य तक।	पूर्ण अधिकार	
	3. अधीक्षण अभियन्ता, सिविल, विद्युत/ यांत्रिक लोक निर्माण विभाग/ लघु सिंचाई, ग्रामीण निर्माण विभाग	रु0 2.00 लाख (रु0 दो लाख) की पुस्तक मूल्य तक।	रु0 10.00 लाख (रु0 दस लाख) की पुस्तक मूल्य तक।	
	4. अधिशासी अभियन्ता, लो0नि0वि0, सिंचाई/ लघु सिंचाई, ग्रामीण निर्माण विभाग	रु0 20.00 हजार (रु0 बीस हजार) की पुस्तक मूल्य तक।	रु0 5.00 लाख (रु0 पांच लाख) की पुस्तक मूल्य तक।	
	5. परिवहन आयुक्त	रु0 50.00 हजार (रु0 पचास हजार) तक	रु0 1.00 लाख (रु0 एक लाख) तक	
टिप्पणी:- बिन्दु (क) व (ख) को वर्तमान में एक साथ समाहित कर दिया गया है।				




9	निष्प्रोज्य घोषित भण्डार के सार्वजनिक नीलामी द्वारा विक्रय करना अथवा अन्य प्रकार से नष्ट किया जाना स्वीकृत करना।	1. प्रशासकीय विभाग	पूर्ण अधिकार	विलोपित	विलोपित
		2. परिवहन आयुक्त	रु0 50.00 हजार (रु0 पचास हजार) तक	विलोपित	
		3. प्रमुख/मुख्य अभियन्ता (विभागाध्यक्ष), लो.नि.वि. /सिंचाई/ लघु सिंचाई/ ग्रामीण निर्माण विभाग	रु0 15.00 लाख (रु0 पन्द्रह लाख) पुस्तक मूल्य तक।		
		4. अधीक्षण अभियन्ता, सिविल, विद्युत/ यांत्रिक लोक निर्माण विभाग/लघु सिंचाई, ग्रामीण निर्माण विभाग	रु0 1.50 लाख (रु0 एक लाख पचास हजार) की पुस्तक मूल्य तक।	विलोपित	
		5. अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग/ सिंचाई विभाग/लघु सिंचाई, ग्रामीण निर्माण विभाग, मुख्य विद्युत नियंत्रक।	रु0 20.00 हजार (रु0 बीस हजार) की पुस्तक मूल्य तक।	विलोपित	

4


(मनीषा पंवार)
अपर मुख्य सचिव।